दिनांक **29** सितंबर, **2022** को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की **5**वीं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की 5वीं बैठक 29 सितंबर, 2022 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में 9वीं मंजिल, जीवन भारती भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-II** में दी गई
है।

2. पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों का स्वागत करते हुए राज्य के प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने बैठक के एजेंडे को संक्षेप में साझा किया।

एजेंडा-1: संशोधित आरजीएसए के तहत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) की स्थापना

(क) एसडीजी सेल (एसडीजीसी), क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू), राज्य निगरानी इकाई (एसएमयू) के तहत बाहरी जनशक्ति की भर्ती: सीईसी को अवगत कराया गया कि संशोधित आरजीएसए के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) की स्थापना को पहली सीईसी में मंजूरी दी गई थी। हालांकि, समानता बनाए रखने और कार्य अनुभव के आधार पर वेतन संरचना का पालन करने के लिए आरजीएसए-एनपीएमयू के दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन के लिए समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जैसा कि आईओपी और एआरएंडपी द्वारा पालन किया जा रहा है। सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी।

(ख) संशोधित आरजीएसए में राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) के तहत पंचायत योजना और मूल्यांकन सेल (पीपीईसी) और संचार सेल स्थापित करने का प्रस्ताव: सीईसी को अवगत कराया गया कि पीपीईसी सेल और संचार सेल की स्थापना को क्रमशः पहली और दूसरी सीईसी बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस संबंध में, इन प्रकोष्ठों के अंतर्गत संशोधित वेतन संरचना के अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए सचिव (पंचायत एवं रोजगार मंत्रालय) द्वारा नीचे दी गई पारिश्रमिक सीमा के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन पहले ही प्रदान कर दिया गया है:

क्र.सं.	पदनाम	पारिश्रमिक (सीमा)	
		पहली सीईसी बैठक के दौरान स्वीकृत	संशोधित प्रस्ताव
1	पीपीईसी शैल		
क)	परियोजना समन्वयक (1)	Rs.1,00,000 -	Rs.2,00,000-

		Rs.1,50,000	Rs.2,75,000/-
ख)	परामर्शदाता (4)	Rs.90,000 - Rs.1,30,000	--
ग)	परामर्शदाता प्रबंधन (2)	--	Rs. 1,80,000/- - Rs.2,30,000/-
घ)	परामर्शदाता तकनीकी (2)	--	Rs.90,000/- -
			Rs.1,30,000/-

2	संचार शैल		
		द्वितीय सीईसी बैठक के दौरान स्वीकृत	संशोधित प्रस्ताव
a	संचार विशेषज्ञ (1)	Rs.1,50,000- Rs.2,00,000	Rs.1,80,000- Rs.2,50,000
b	परामर्शदाता (2)	Rs.90,000- Rs.1,30,000	Rs.90,000- Rs.1,30,000

सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी।

एजेंडा-2: सीबी डिवीजन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए क्लस्टर परियोजनाओं के युवा फेलो के लिए टीए: सीईसी को बताया गया कि 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों के लिए भारत भर में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने और गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी को सक्षम करने की परियोजना का विस्तार पहली सीईसी बैठक में किया गया था, जिसकी राशि 2022-23 के लिए 15.54 करोड़ रुपये थी। परियोजना लागत में मॉडल जीपी क्लस्टर के युवा फेलो (वाईएफ)/राज्य कार्यक्रम समन्वयक (एसपीसी) का वेतन शामिल था। हालाँकि, एमओपीआर/राज्यों/एनआईआरडी और पीआर द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न कार्यशालाओं/लेखन कार्यशालाओं/सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा करने वाले युवा फेलो/एसपीसी के टीए के भुगतान/प्रतिपूर्ति के लिए परियोजना के तहत कोई प्रावधान नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय दिल्ली/राज्यों/एनआईआरडी और पीआर में विभिन्न कार्यशालाओं/लेखन कार्यशालाओं/सम्मेलन/कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और इसमें भाग लेने के लिए युवा महिलाओं/एसपीसी को आमंत्रित कर रहा है और इस परियोजना के तहत युवा महिलाओं/एसपीसी को यात्रा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, पंचायती राज मंत्रालय/एनआईआरडी और पीआर के माध्यम से आरजीएसए के केंद्रीय घटक से युवा महिलाओं/एसपीसी के यात्रा भत्ता के भुगतान के लिए अनुमोदन पर विचार करने के लिए सीईसी के समक्ष प्रस्ताव रखा गया।

समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि युवा महिलाओं/एसपीसी के टीए का भुगतान एनआईआरडीपीआर द्वारा किया जाएगा। हालांकि, समिति ने सुझाव दिया कि एनआईआरडीपीआर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिसमें अनुमानित बजट और प्रत्येक कार्यशाला के संभावित प्रतिभागियों की संख्या शामिल हो। प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की जानी चाहिए और

समिति के अध्यक्ष से मंजूरी ली जानी चाहिए। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद एनआईआरडीपीआर अपने पास उपलब्ध निधि का उपयोग कर सकता है। दूसरी किस्त आवश्यक जरुरतों के अनुपालन के बाद ही जारी की जाएगी। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सम्मेलनों आदि में भागीदारी के लिए युवा महिलाओं और एसपीसी को टीए भी प्रदान किया जा सकता है।

<u>एजेंडा-3: गोवा राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाएं</u>

गोवा की वार्षिक कार्य योजना पर सीईसी द्वारा विचार किया गया। सीईसी की टिप्पणियों और अनुमोदित बजट सारांश का विवरण इस प्रकार है:

<u>गोवा</u>:

- वार्षिक कार्ययोजना में राज्य ने किराए के भवन में एसपीआरसी के लिए 0.60 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है। हालांकि, यह देखा गया है कि एसपीआरसी के निर्माण के लिए 2021-22 के दौरान 0.78 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और राज्य द्वारा इसे पूरा कर लिया गया है। हालांकि, किराए के भवन में एसपीआरसी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

- सीईसी ने पाया कि गोवा के एकल नोडल खाते में 1.12 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं और एसएनए-01 रिपोर्ट में कोई व्यय नहीं दर्शाया गया है। इस संदर्भ में राज्य ने बताया कि उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों की मैपिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे एसएनए खातों से धन खर्च करने में सक्षम नहीं हैं और यह भी बताया कि राज्य के पास लगभग 0.50 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि पड़ी हुई है।

- राज्य को डीओई के दिनांक 23.03.2021 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने और मंत्रालय के परामर्श से अनुपालन में आने वाली सभी समस्याओं को ठीक करने का निर्देश दिया गया है।

गोवा की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-I** में है।

अनुबंध-I

गोवा बजट वर्ष **2022-23** का सारांश कार्यवृत्त

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
1	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	
i.	सामान्य अभिमुखीकरण **(1524 प्रतिभागी)**	0.60
ii.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण **(50 प्रतिभागी)**	0.025
iii.	पंचायत विकास योजना **(1675 प्रतिभागी)**	0.26
iv.	विषयगत प्रशिक्षण - **(1440 प्रतिभागी)**	0.14
v.	विशेष प्रशिक्षण **(1250 प्रतिभागी)**	0.25
vi.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (1 जीपी, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री, एक्सपोजर विजिट **(**राज्य के भीतर 150, राज्य के बाहर 150, अतिरिक्त 25 मास्टर ट्रेनर)	0.90
	कुल सीबी एंड टी	**2.175**
2	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.69
ii.	डीपीआरसी आवर्ती लागत(2 डीपीआरसी के लिए)	0.10
	कुल **(**आवर्ती लागत**)**	**0.79**
3	पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (पीआई)	
i.	1 पंचायत भवन का निर्माण (अतिरिक्त)	0.20
	कुल पीआई	**0.20**
4	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.159
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (2 डीपीएमयू के लिए)	0.084
	पीएमयू का कुल योग	**0.243**
	अन्य घटकों का कुल योग	**3.40**
5	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	0.07
6	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.05
	कुल योजना	**3.53**

अनुबंध-II

प्रतिभागियों की सूची

पंचायती राज
मंत्रालय के
अधिकारीगण

1. श्री सुनील कुमार, सचिव और सीईसी के अध्यक्ष
2. डॉ. चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव
3. श्री आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव
4. सुश्री रेखा यादव, संयुक्त सचिव
5. श्री बिजय कुमार बेहरा, आर्थिक सलाहकार
6. सुश्री ममता वर्मा, संयुक्त सचिव
7. सुश्री मालती रावत, निदेशक (सीबी/आईएफडी)
8. श्री पंकज कुमार, अवर सचिव
9. श्री बिजेंद्र खोला, अनुभाग अधिकारी
10. श्री एस.के. गुप्ता, परामर्शदाता (सीबी)
11. डॉ. मोहम्मद. तौकीर खान, परामर्शदाता (सीबी)
12. सुश्री प्रज्ञा सिंह, परामर्शदाता (सीबी)
13. सुश्री पियाली रॉय, परामर्शदाता (सीबी)
14. श्री सत्येंद्र झा, परामर्शदाता (सीबी)
15. सुश्री प्रियंका दत्ता, परामर्शदाता (सीबी)
16. श्री सचिन चंद्रा, परामर्शदाता (सीबी)
17. श्री सुधासत्व बारिक, परामर्शदाता (सीबी)
18. श्री अभिषेक कुमार, परामर्शदाता (सीबी)

अन्य संबंधित मंत्रालयों/एनआईआरडीपीआर के प्रतिभागी (वर्चुअली)

1. डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, महानिदेशक (एनआईआरडीपीआर)
2. डॉ. अंजन कुमार भांजा, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (एनआईआरडीपीआर)

गोवा के राज्य प्रतिनिधि (वर्चुअली)

1. श्री माइकल डिसूजा (आईएएस) निदेशक (जीआईपीएआरडी)
2. सुश्री अश्विनी पय्यार, कोर फैकल्टी (जीआईपीएआरडी)
3. श्री गुरुदत्त नाइक, प्रखंड विकास अधिकारी